नागरिकशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र
(Meaning, Definition and Scope of Civics)

Unit – I
Guess Question – 1

① नागरिकशास्त्र से आप क्या समझते हैं? नागरिकशास्त्र के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। DSPMU – 2017

or

नागरिकशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा लिखें तथा उसके क्षेत्र की विवेचना करें।

Scanned with CamScanner

आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ज्यों-ज्यों मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, त्यों-त्यों वह नई-नई वस्तुओं का आविष्कार करता जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही मनुष्य ने नागरिक जीवन को अपनाया होगा और नागरिक-शात्र का प्रारम्भ तभी से माना जाता है जब से मानव ने अपने जगली जीवन को छोड़कर नागरिक जीवन में प्रवेश किया। वास्तव में नागरिक-शास्त्र, शान्ति का शास्त्र हैं या सुखमय जीवन की आचार-संहिता है। अतएव इस शास्त्र का ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं।

'नागरिकशास्त्र' शब्द की व्युत्पत्ति और उसका शाब्दिक अर्थ

'नागरिकशास्त्र' शब्द अंग्रेजी भाषा के 'सिविक्स' (Civics) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। नागरिकशास्त्र 'सिविक्स' (Civics) लेटिन के 'सिविस' (Civis) तथा सिविटास (Civitas) शब्दों से बना है जिनका अर्थ क्रमशः 'नागरिक' और 'नगर' होता है। 'सिविस का अर्थ नगर-राज्य के सदस्य' है एवं सिविटास का मतलब 'नगर-राज्य' से है। इस भाँति नागरिकशास्त्र मनुष्य का एक नागरिक रूप में अध्ययन करने वाला शास्त्र है। यूनान और रोम में अत्यन्त प्राचीन काल में नगर-राज्य स्थापित थे। ये नगर-राज्य पूर्ण स्वतन्त्र होते थे और तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के मुख्य केन्द्र थे। इन्हीं नगर-राज्यों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन से सम्बन्धित शास्त्र का नाम 'सिविक्स' (Civics) पड़ा। आरम्भ में 'सिविक्स' (Civics) का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित था, परन्तु ज्यों-ज्यों नागरिकता का विकास, हुआ, इस शब्द का क्षेत्र भी बढ़ता गया।

हिन्दी का 'नागरिकशास्त्र' शब्द दो शब्द से मिलकर बना है—'नागरिक'

Scanned with CamScan

और 'शास्त्र'। बोलचाल की भाषा में नागरिक का अर्थ नगर निवासी होता है, परन्तु राजनीतिक एवं वैधानिक शब्दावली में उसके ये अर्थ नहीं लिये जाते। वास्तव में नागरिक का अर्थ संगठित समाज का सदस्य है। हिन्दी में नागर का अर्थ चतुर होता है। अतएव नागरिक के अर्थ हुए—चतुर व्यक्ति। चतुर व्यक्ति वही होगा जो एक संगठित समाज में निवास करता हो। अतएव हम कह सकते हैं कि 'नागरिक' से उस व्यक्ति का बोध होता है जो किसी संगठित समाज का सदस्य हो, जिसे कुछ अधिकार प्राप्त हों और जिसे अपने कर्तव्यों का पालन करना होता हो।

किसी भी विषय के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को 'शास्त्र' कहा जाता है। 'शास्त्र' शब्द संस्कृत भाषा के शास्' से बना है जिसका अर्थ होता है—शासन या व्यवस्था करना। व्यवस्था करना या नियम बनाना, विज्ञान का कार्य है। अतएव शास्त्र का प्रयोग विज्ञान के अर्थ में हुआ है। इसलिए नागरिकशास्त्र को नागरिकता का विज्ञान भी कहा जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शास्त्र शब्द का अर्थ किसी विषय के निश्चित क्रमबद्ध उपयोगी ज्ञान से है, जो कि निरीक्षण, प्रयोग, अध्ययन एवं वर्गीकरण द्वारा होता है।

नागरिक और शास्त्र शब्दों को अलग-अलग समझ लेने के पश्चात् नागरिक, शास्त्र के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि नागरिकशास्त्र संगठित एवं सुव्यवस्थित समाज के सदस्यों से सम्बन्धित वह उपयोगी और क्रमबद्ध ज्ञान है जो नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है।

नागरिकशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएँ

विभिन्न विद्वानों ने नागरिकशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं। इनमें से कुछ परिभाषाएँ एकांगी और अपूर्ण हैं और कुछ सर्वांगीण एवं पूर्ण। यहाँ हम कुछ प्रमुख परिभाषाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

(1) **अरस्तू की परिभाषा**—नागरिकशास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप में सम्भव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है।"

"Civics is the science which studies the conditions of the best possible life."

—Aristotle.

(2) **पैट्रिक गेड्स की परिभाषा**—"नागरिकशास्त्र नगरों का विज्ञान है। यह उनकी उत्पत्ति, उनके विकास, उनके बाह्य, आन्तरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाओं और उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास की विवेचना करता है।"

"Civics is the science of cities. It deals with their origin, development, internal, external and psychological activities and their individual and collective evolution."

—Patric Geddes.

आलोचना—गेड्स की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत नगर एवं उससे सम्बन्धित क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। उसकी यह परिभाषा अत्यन्त एकांगी और अपूर्ण होती है। नागरिकशास्त्र को केवल नगरों का विज्ञान करना उचित नहीं है क्योंकि इसके अन्तर्गत अन्य तत्व भी आते हैं। गेड्स की परिभाषा के विषय में प्रो० पुणताम्बेकर का कथन पूर्ण उचित है कि "यह परिभाषा

Scanned with CamScanner

मनुष्य के अधिक व्यापक सम्बन्धों एवं कर्तव्यों और जीवन के अन्य पक्षों का अध्ययन नहीं करती है।"

(3) **एफ० जी० गूल्ड की परिभाषा**—"नागरिकशास्त्र उन समस्त संस्थाओं, आदतों, कार्यों और व्यक्तियों का अध्ययन है, जिसके द्वारा कोई पुरुष या स्त्री अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सकें और राजनीतिक सम्प्रदाय के सदस्य होने का लाभ उठा सकें।"

"Civics is the study of institutions, habits, activities and spirits by means of which a man or a woman may fulfil the duties and receive the benefits of a membership of a political community." —F. G. Gould.

आलोचना—गूल्ड ने अपनी परिभाषा में नागरिक के कर्तव्यों, अधिकारों, संस्थाओं, आदतों, कार्यों आदि का समावेश करने का प्रयास किया है, परन्तु यह परिभाषा भी अपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकशास्त्र के समस्त पहलुओं को स्पष्ट नहीं करती है।

(4) **एलफ्रेड जे० शॉ की परिभाषा**—"नागरिकशास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है, जो राजनीतिक संगठन में रहने वाले व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों की विवेचना करती है।"

"Civics may be defined as that branch of human knowledge which deals with rights and duties of men, living as a member of group politically organised." —Alfred J. Shaw.

आलोचना—एलफ्रेड जे० शॉ ने भी नागरिकशास्त्र को अत्यन्त सीमित शास्त्र माना है। वह उसे नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का शास्त्र मानता है, परन्तु नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत केवल नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य नहीं आते बल्कि अन्य बातें भी आती हैं। अतएव शॉ की परिभाषा भी अपूर्ण है।

(5) **पुणताम्बेकर की परिभाषा**—"नागरिकशास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है।"

"Civics is the science and philosophy of citizenship." —S. V. Puntambekar.

आलोचना—पुणताम्बेकर महोदय नागरिकशास्त्र को विज्ञान और दर्शन मानते हैं। यदि विज्ञान से उनका आशय शास्त्र से है तो ठीक है, परन्तु यदि वे नागरिकशास्त्र को शुद्ध विज्ञान मानते हैं तो दोष है क्योंकि नागरिकशास्त्र केवल विज्ञान ही नहीं हैं बल्कि कला भी है। उनकी परिभाषा अत्यन्त अस्पष्ट है। उसमें नागरिक और नागरिकता शब्दों को भली-भाँति स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही नागरिकशास्त्र केवल विज्ञान और दर्शन ही नहीं है। उसमें विज्ञान एवं दर्शन के अतिरिक्त अन्य विषयों का अध्ययन भी किया जाता है। नागरिकशास्त्र में नागरिकता के विभिन्न पहलुओं, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं आदि की भी विवेचना होती है। अतएव पुणताम्बेकर की परिभाषा भी अपूर्ण कही जायेगी।

(6) **कुछ अन्य परिभाषाएं**—नागरिकशास्त्र की कुछ अन्य परिभाषाएं भी दी

Scanned with CamScan

गई हैं। कैम्ब्रिज कोश में लिखा है, "नागरिकशास्त्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विज्ञान है।"

"Civics is the science of rights and duties of man in the society."

डॉ० बेनी प्रसाद के अनुसार—"नागरिकशास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्तव्य हैं जिनको वह समाज में रहकर पूर्ण करता है।"

"In the context of social relationship there are many, duties, to be performed and correspondingly many rights to be respeetcb. It is with them that civics is mainly concerned."

—Dr. Beni Prasad.

आलोचना—ऊपर जितनी भी परिभाषाएँ दी गई हैं वे नागरिकशास्त्र के एक अंग विशेष पर ही प्रकाश डालती हैं। कोई अधिकारों और कर्तव्यों के पक्ष को प्रकट करती है तो कोई सामाजिक सम्बन्धों को। इनमें से कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जो सभी अर्थों में पूर्ण, स्पष्ट और तर्क की कसौटी पर पूरी तरह, खरी उतरती हो।

(6) **डा० ई० एम० ह्वाइट की परिभाषा**—सबसे अधिक व्यापक परिभाषा डा० ई० एम० ह्वाइट द्वारा दी गई नागरिकशास्त्र की परिभाषा अत्यन्त व्यापक और पूर्ण मानी जाती है। उनके अनुसार, "नागरिकशास्त्र न्यूनाधिक रूप से मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिकों से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक, आर्थिक और धार्मिक आदि पर विचार करती है और भूत, वर्तमान, भविष्य, स्थानीय, राष्ट्रीय तथा मानवीय सम्बन्धों की चर्चा करती है।"

"Civics is that more or less usefull branch of human knowledge which deals with everything (e. g. social, intellectual, economical, political and even religious aspects) relating to a citizen; past, present and future, local national and human."

—Dr. E. M. White.

आलोचना—प्रो० ह्वाइट ने अपनी परिभाषा में नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत आने वाले सभी विषयों का समावेश किया है। नागरिकशास्त्र जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित शास्त्र है। वह जीवन के केवल एक काल या एक पक्ष का विवेचन नहीं करता वरन् दिग्दर्शन कराता है। ह्वाइट की परिभाषा इतनी सर्वाङ्गीण और पूर्ण है कि विभिन्न विद्वानों ने उसकी जो आलोचना की है वह अधिक समीचीन प्रतीत नहीं होती।

हमने नागरिकशास्त्र की जो प्रमुख परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं इनमें से अधिकांश विद्वानों की परिभाषाएँ अपूर्ण एवं एकांगी हैं। ह्वाइट की परिभाषा में ही सर्वाङ्गपूर्णता के दर्शन होते हैं। अतएव वही परिभाषा हमें अधिक समीचीन प्रतीत होती है।

नागरिकशास्त्र का अध्ययन-क्षेत्र

(Scope of Civics)

प्रत्येक शास्त्र का अपना अध्ययन-क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए वनस्पति

Scanned with CamScanner

प्रथम पाठशाला कहा गया है । इसलिये इस शास्त्र के अन्तर्गत परिवार का भी अध्ययन होता है । तत्पश्चात् ग्राम और नगर आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उनके प्रशासन से सम्बन्धित बातों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है ।

(5) **राज्य और सरकार का अध्ययन** —इस शास्त्र के अन्तर्गत राज्य और सरकार के संगठन, उनके स्वरूप, उनका प्रकृति और उनके कार्यों आदि का अध्ययन होता है । राज्य, परिवार का वृहत्तर रूप है । इसलिए राज्य और सरकार का अध्ययन भी आवश्यक है ।

(6) **विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन**— नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत केवल परिवार, ग्राम, नगर और राज्य का ही अध्ययन नहीं होता वरन् इसके अन्तर्गत उन समस्त समितियों, संस्थाओं और समुदायों का अध्ययन होता है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन से सम्बन्धित हैं । यह शास्त्र केवल राष्ट्रीय समुदायों की ही जानकारी नहीं प्रदान करता बल्कि इसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय संघों, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र-मण्डल आदि का भी अध्ययन किया जाता है ।

(7) **नागरिकता का अध्ययन**—नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत मुख्यतः नागरिक और नागरिकता का अध्ययन होता है । इस शास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि नागरिक कौन है, नागरिकता किस प्रकार प्राप्त होती है, किस प्रकार खोई जाती है और आदर्श नागरिक किस प्रकार बनाया जाय, आदि ।

(8) **अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का अध्ययन** —नागरिकशास्त्र में नागरिक के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का अध्ययन किया जाता है । यह शास्त्र यह बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या कर्त्तव्य हैं ? उसे इन अधिकारों और कर्त्तव्यों का प्रयोग और पालन किस प्रकार करना चाहिये ? कुछ विद्वान नागरिकशास्त्र को अधिकारों और कर्त्तव्यों के शास्त्र के नाम से पुकारते हैं ।

(9) **स्वतन्त्रता, समानता एवं कानून का अध्ययन**—आधुनिक युग में स्वतन्त्रता एवं समानता का अत्यधिक महत्व है । नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत इन दोनों का विशिष्ट रूप से अध्ययन होता है । यह शास्त्र ही हमें बताता है कि स्वतन्त्रता और समानता क्या है, इन दोनों का क्या सम्बन्ध है ? इनका स्वरूप क्या है ? साथ ही चूंकि स्वतन्त्रता और कानून का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिए नागरिकशास्त्र में कानून का अध्ययन भी होता है ।

(10) **सामाजिक जीवन के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन**—नागरिकशास्त्र एक व्यापक सामाजिकशास्त्र है । इसलिए इसमें सामाजिक जीवन के राजनीतिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन भी होता है । राजनीतिक पक्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय अन्दोलन, सरकार एवं राज्य का अध्ययन किया जाता है । धार्मिक पक्ष के अन्तर्गत नैतिक मूल्यों का अध्ययन होता है और सच्चे धर्म का विश्लेषण किया जाता है । नागरिकशास्त्र में इस बात का भी अध्ययन होता है कि सामाजिक जीवन को आर्थिक शक्तियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं । सांस्कृतिक पक्ष के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं और सामाजिक जीवन में साहित्य और कला के योगदान आदि का अध्ययन होता है ।

(11) **सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन**—नागरिकशास्त्र में सामाजिक संबन्धों का भी अध्ययन होता है । इस शास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि

Scanned with CamScan

प्रसिद्ध विद्वान एफ० जे० गूल्ड ने नागरिकशास्त्र के अध्ययन-क्षेत्र की व्यापकता को बहुत संक्षेप में स्पष्ट कर दिया, जब उन्होंने लिखा है कि "नागरिकशास्त्र सभ्यता तथा नागरिकता का समक्षेत्रीय है।"

"Civics is co-extensive with civilization and citizenship."

F. J. Gould.

Scanned with CamScan